9/1/23 पक्षकारान पेश हुए। दलील उभय पक्ष उपरान्त राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर नाम मिसल किया गया वाद फैसल पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 24/20 पीठासीन अधिकारी

दिनांक रजु :– 03–03–20 श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. रामजीलाल } पि0 देवकीलाल
2. रमेश चन्द }
3. राहुल पुत्र हरिशंकर
4. गायत्री पत्नी हरिशंकर

} समस्त जाति ब्रह्मण निवासी सेडूलाई कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम

1. ओमप्रकाश }
2. श्यामप्रकाश } पि0 बजरंगलाल
3. जयप्रकाश }
4. रोहित पुत्र प्रेमप्रकाश
5. चन्द्रकला पत्नी प्रेमप्रकाश

} समस्त जाति ब्रह्मण निवासी सेडूलाई कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 9/1/23

उपस्थित :– श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट – वादीगण की ओर से
श्री देवीसिंह चौहान एडवोकेट – प्रतिवादी संख्या 1 ल0 5 की ओर से

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही सयुंक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

छोटेलाल पुत्र बंशीधर

- देवकीलाल
  - बजरंगलाल
    - ओमप्रकाश
    - प्रेमप्रकाश
      - रोहित
      - चन्द्रकला
    - श्यामप्रकाश
    - जयप्रकाश
  - रामजीलाल
  - रमेशचन्द
  - हरिशंकर
    - राहूल
    - गायत्री
  - आनन्दीलाल (लाऔलाद फौत)

वादीगण एंव प्रतिवादीगण के पूर्वज छोटेलाल पुत्र बंशीधर एवं देवकीलाल पुत्र छोटेलाल कौम ब्रह्मण निवासी कस्बा लालसोट की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1501 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट में स्थित है। जिसे आगे वादपत्र मे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी सम्वत 2015 से 2017 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज छोटेलाल पुत्र बंशीधर के पश्चात गलत व अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर बजरंग लाल पुत्र देवकीलाल अकेले के नाम दर्ज हो गयी। जबकि देवकीलाल पुत्र बजरंगलाल के अलावा वादीगण रामजीलाल, रमेशचन्द एवं हरिशंकर भी वारिस थे। प्रतिवादीगण के पिता/दादा बजरंगलाल ने ज्येष्ठ पुत्र होने के करण प्रतिवादी संख्या 6 के कर्मचारीयो से मिलीभगत कर गलत एवं अवैध तरीके से पैतृक वादग्रस्त आराजी अपने नाम लगवा ली। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त आराजीया तमे सजरानुसार वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4, वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4, वादी संख्या 3 लगायत 4 का हिस 1/4, एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर का हिस्सा 1/4 हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर बजरंगलाल पुत्र देवकीलाल अपने हिस्से 1/4 की भूमि का विक्रय दिनांक 25–09–98 को संतोष कुमार पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज॰)

हरिनारायण घमण्डिया निवासी लालसोट के हक मे कर चुका है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल होकर उसके हिस्से 9 बिस्वा की खातेदारी अलग होकर खसरा नं0 4724/1501 दर्ज हो चुकी है। वर्तमान मे खसरा नं0 1501 के बजाय शेष भूमि खसरा नं0 4723/1501 एवं 4725/1501 कुल रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर बजरंगलाल के नाम ही गलत रूप से अंकित चली आ रही है। खसरा नं0 1501 वाकै कस्बा लालसोट मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर के पिता/दादा बजरंगलाल पुत्र देवकीलाल द्वारा अपने हिस्से 1/4 की भूमि का बेचान कर दिये जाने के कारण अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर बजरंगलाल का कोई हिस्सा उक्त भूमि मे शेष नही रहा है। इसलिए वादीगण को यह कानूनन हक अधिकार है कि वादीगण आराजी खसरा नं0 4723/1501 एवं खसरा नं0 4725/1501 वाकै कस्बा लालसोट की खातेदारी की उद्घोषणा करवा कर अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करावे। वादीगण को यह कानूनी हक अधिकार हांसिल है कि आराजी खसरा नं0 4723/1501 एवं खसरा नं0 4725/1501 वाकै कस्बा लालसोट में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर बजरंगलाल पुत्र देवकीलाल के नाम गलत एवं अवैध रूप से दर्ज खातेदारी को विलोपित करवाकर उक्त भूमि की खातेदारी की अधिघोषणा वादीगण के नाम करवाये। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं0 4723/1501 एवं खसरा नं0 4725/1501 वाकै कस्बा लालसोट की खातेदारी गलत व अवैध तौर से बजरंगलाल के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं जबरन बेचान करने को आमादा है। जिसका उनको कोई कानूनन हक अधिकार हांसिल नही है। वादीगण को यह कानूनन हक अधिकार हासिलं है कि वे प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 4723/1501 एवं खसरा नं0 4725/1501 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट मे बजरंगलाल के नाम गलत खातेदारी दर्ज होने के कारण वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने या

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

किसी भी प्रकार दखलन्दाजी या हस्तान्तरित करने से स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करावे। दिनांक 02–02–20 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर बजरंगलाल के नाम गलत दर्ज होने के कारण नामान्तकरण खुलवाकर वादीगण को भूमि का बेचान करने एवं भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी जिससे वाद हैतुक पैदा होकर वाद अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री देवीसिंह चौहान एडवोकेट उपस्थित। वादी की ओर वादपत्र के समर्थन मे जमाबन्दी सम्वत 2072--75, जमाबन्दी संम्वत 2072–2075, जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2018, फोटो कॉपी विक्रय पत्र दिनांक 25–09–1998 पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तथा उभय पक्षकारान में राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण ने तर्क दिया कि मुताबिक राजीनामा आराजी खसरा नं0 4723/1501 एवं खसरा नं0 4725/1501 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट मे वादी संख्या 1 रामजीलाल पुत्र देवकीलाल का हिस्सा 1/3 एवं वादी संख्या 2 रमेश चन्द का हिस्सा 1/3 एंव प्रतिवादीगण ओमप्रकाश, श्यामप्रकाश, जयप्रकाश पि0 बजरंगलाल एवं रोहित पुत्र प्रेमप्रकाश व चन्द्रकला पत्नी प्रेमप्रकाश का हिस्सा 1/3 रहेगा। मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजीनामा, जमाबन्दी आदि का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया मुताबिक राजीनामा वादीगण का विरूद्व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा के अन्दर आराजी खसरा नं0 4723/1501 एवं खसरा नं0 4725/1501 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट मे वादी संख्या 1 रामजीलाल पुत्र देवकीलाल का हिस्सा 1/3 एवं वादी संख्या 2 रमेश चन्द का हिस्सा 1/3 एंव प्रतिवादीगण ओमप्रकाश, श्यामप्रकाश, जयप्रकाश पि0 बजरंगलाल एवं रोहित पुत्र प्रेमप्रकाश व चन्द्रकला पत्नी प्रेमप्रकाश का हिस्सा 1/3 रहेगा के अनुसार खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

काश्तकार उद्‌घोषित किये जाने का हकदार है। इसलिए हमारी राय मे वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः आराजी वादग्रस्त भूमि बरूवे राजीनामा इस आशय से है कि आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 4723/1501 एवं खसरा नं0 4725/1501 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट मे वादी संख्या 1 रामजीलाल पुत्र देवकीलाल का हिस्सा 1/3 एवं वादी संख्या 2 रमेश चन्द का हिस्सा 1/3 एंव प्रतिवादीगण ओमप्रकाश, श्यामप्रकाश, जयप्रकाश पि0 बजरंगलाल एवं रोहित पुत्र प्रेमप्रकाश व चन्द्रकला पत्नी प्रेमप्रकाश का हिस्सा 1/3 रहेगा। वादीगण को कांबिज खातेदार काश्तकार उद्‌घोषित किया जाता है, राजीनामा निर्णय का पार्ट रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि नियमानुसार पंजीयन शुल्क प्राप्त कर इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री का अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/1/23 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट